

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-15/2023  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्री मुकेश चौधरी—विक्रेता  
प्रति

श्री अरुण कुमार चौधरी—क्रेता

—आदेश—

अमिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री मुकेश चौधरी, पिता—स्व० महावीर चौधरी, ग्राम—रंका कला, पोस्ट—रंका कला, थाना—रंका, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री अरुण कुमार चौधरी, पिता—स्व० मोला चौधरी, ग्राम—रंका कला, पोस्ट—रंका कला, थाना—रंका, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 202/दिनांक 28.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के पिता के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के कुर्मी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता कुर्मी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री मुकेश चौधरी, पिता—स्व० महावीर चौधरी, ग्राम—रंका कला, पोस्ट—रंका कला, थाना—रंका, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्री अरुण कुमार चौधरी, पिता—स्व० मोला चौधरी, ग्राम—रंका कला, पोस्ट—रंका कला, थाना—रंका, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
रंका कला	83	पुराना-99 नया-328	पुराना-765,768 नया-1323	0.00¼	उ०-पी०सी०सी० रोड, द०-नीज, पू०-प्रमोद चौधरी, प०-सुरेश चौधरी,
		पुराना-99 नया-328	पुराना-765,771 नया-1327	0.03½	उ०-नीज, द०-मुन्द्रिका राम, पू०-प्रमोद चौधरी, प०-सुरेश चौधरी
कुल रकबा:-				0.03¾	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।